मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 (चैत्र 3, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. देबेन्द्र प्रधान, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किया गया :-

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11:07 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित की गई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,4,5 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 174 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 195 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3.अध्यक्षीय घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- "नियम 267- क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 21 सूचनाएं 267- क- दो को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है. सरल क्रमांक 1 से 10 तक की सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी जायेंगी. इन सभी सूचनाओं के उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा. "

4. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का मुख्यालय बनाया जाना।

(2) श्री महेश परमार, सदस्य ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों को केबल नेटवर्क कंपनियों द्वारा इंटरनेट से जोड़ने हेतु शुल्क न जमा किया जाना।

(3) अनुपस्थित

(4) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में प्राध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता।

(5) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने प्रदेश में सी.एम.राईज स्कूलों के भवन निर्माण में सुविधाओं की कमी होना।

(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा वनों का निजीकरण किया जाना।

(7) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र पोहरी के ग्रामों में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता की जाना।

(8) अनुपस्थित

(9) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले में उपभोक्ताओं को अत्याधिक राशि के विद्युत बिल प्रदाय किया जाना।

(10) श्री फूल सिंह बरैया, सदस्य ने म.प्र. में जन्म लेने वाले शिक्षा ग्रहण करने हेतु अनुसूचित जाति के लोगों से सन् 1950 के स्थान पर 5 वर्ष के रिकार्ड के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना।

उक्तानुसार सूचनाएं पढी गईं.

(11) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में स्थित पुरवा फाल एवं पर्यटक स्थल पर पुलिस चौकी खोला जाना ।

(12) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा जिले के ग्राम रूनझुन से दीपगांव कला तक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना ।

(13) श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य ने प्रदेश में जल जीवन मिशन का कार्य अपूर्ण होना ।

(14) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने दतिया जिले के माता रतनगढ़ के समीप सामुदायिक पेयजल एवं जन सुविधाओं का अभाव ।

(15) श्री भैरो सिंह 'बापू', सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सुसनेर सहित पूरे प्रदेश में जंगली जानवरों एवं आवारा मवेशियों से फसलें बर्वाद होना ।

(16) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने जिला छतरपुर के राजस्व मण्डल ब्रजपुरा की भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम न किया जाना ।

(17) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खिरिया के कुशवाहा मोहल्ला में विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाया जाना ।

(18) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने मध्यप्रदेश भूमि विकास अधिनियम की धारा16 के अतंर्गत भूमि विकास को अनुमति की प्रक्रिया को तेज और परदर्शी बनाया जाना ।

(19) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोला जाना ।

(20) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र अटेर जिला भिण्ड अतंर्गत ग्राम भौनपुरा से सरायापुरा मजरा हरिजन मोहल्ला तक पक्का मार्ग बनवाया जाना ।

(21) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने बड़वानी जिले के पाटी विकास खण्ड अतंर्गत शाला भवनों का निर्माण न किया जाना ।

11 से 21 तक की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

बालाघाट के रेंजर कालेज के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया जाना.

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा बालाघाट जिले के रेंजर कॉलेज के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का आवंटन किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए सहपठित मध्यप्रदेश नियम 2002 के नियम 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

7.अध्यक्षीय घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची में 18 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया माना जाएगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा। पहले क्रमांक- (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जाएंगी।"

8. ध्यानाकर्षण

(1) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य** ने जबलपुर नगर निगम द्वारा लीज फ्री होल्ड में संपरिवर्तन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य द्वारा धरने पर बैठने संबंधी

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "माननीय सदस्य श्री कमलेश्वर डोडियार जी का पत्र प्राप्त हुआ है. उस पत्र पर किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपमान अवमानना का उल्लेख किया गया है. माननीय सदस्य के धरने पर बैठने का भी उल्लेख किया है. यह अपने अधिकारों का हनन होने पर विधान सभा की विभिन्न समितियां हैं वहां सूचना देकर कार्यवाही के लिए आग्रह कर सकते हैं. जहां तक मुझे ध्यान है इस संबंध में विगत सत्र में शून्यकाल में लिया गया था जिसका उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध हो चुका है."

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य** की निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में स्टेडियम का निर्माण का कार्य पूर्ण न होने की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "कार्यसूची के पद 4 के उप पद (3) से (18) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े गए माने जाएंगे" -

(3) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य** की सतना मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट का डिजाईन चेंज किये जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य.

(4) **श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य** की प्रदेश में वनों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त इंतजाम न होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(5) **श्री लखन घनघोरिया, सदस्य** की जबलपुर में स्थापित डेयरी साईंस कॉलेज को उज्जैन शिफ्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी का वक्तव्य.

(6) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य** की कटनी जिले के बरही से मैहर सड़क मार्ग पर स्थित महानदी पर पुल क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(7) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी) सदस्य** की झांसी मानिकपुर रेल्वे लाईन पर ओवर ब्रिज न होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(8) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य** की रतलाम जिले के काबुलखेड़ी-सुखेड़ा उपमंडी सड़क मार्ग का निर्माण कार्य न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(9) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य** की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य.

(10) **श्री चन्दर सिंह सिसौदिया, सदस्य** की नागदा स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल चंबल नदी में छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(11) **श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य** की प्रदेश में आदिवासियों की जमीन का नामान्तरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(12) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य** की प्रदेश में नवीन राजकीय राजमार्ग घोषित न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(13) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य** की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(14) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य** की सागर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में बर्तन न दिये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(15) **श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य** की चित्रकूट क्षेत्र के बकोट बांध के डूब प्रभावितों को बाजार दर से मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(16) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य** की बालाघाट नगर परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी न दिये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(17) **श्री दिनेश जैन (बोस) सदस्य** की नागदा खाचरौद में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(18) **श्री सुरेश राजे, सदस्य** की डबरा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(2) श्री मुकेश मल्होत्रा (जिला-श्योपुर)
(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(4) श्रीमती छाया मोरे (जिला-खण्डवा)
(5) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(6) श्री सिद्धार्थ तिवारी (जिला-रीवा)
(7) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(8) श्री महेन्द्र रामसिंह यादव (खतौरा) (जिला-शिवपुरी)
(9) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(10) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सीधी)
(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(12) श्री मुरली भंवरा (जिला-देवास)
(13) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(14) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(15) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(16) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(17) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(18) श्री विश्वनाथ सिंह 'मुलाम भैया' (जिला-नरसिंहपुर)
(19) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(20) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(21) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(22) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(23) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(24) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(25) श्री दिनेश जैन (बोस) (जिला-उज्जैन)
(26) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(27) श्री केशव देसाई (जाटव) (जिला-भिण्ड)
(28) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(29) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(30) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(31) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(32) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(33) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(34) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(35) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(36) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(37) श्री श्याम बरड़े (जिला-बड़वानी)
(38) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (जिला-खरगोन)
(39) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(40) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(41) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(42) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(43) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(44) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(45) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(46) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(47) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(48) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)

(49) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(50) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(51) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(52) श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा) (जिला-हरदा)
(53) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(54) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(55) श्री मुकेश टंडन (जिला-विदिशा)
(56) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(57) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(58) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(59) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(60) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(61) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(62) श्री विक्रम सिंह (विक्की) (जिला-सतना)
(63) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(64) श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(65) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
(66) श्री राजकुमार करहिे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(67) श्री भैरो सिंह (बापू) (जिला-आगर-मालवा)
(68) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)
(69) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(70) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(71) श्री घनश्याम चंद्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(72) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(73) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(74) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(75) श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-सीधी)

12.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि - “आज की कार्य सूची के पद 6 के उपपद (1) में उल्लिखित मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर चर्चा के लिए मेरे द्वारा 1 घण्टे का समय आवंटित किया गया है.”

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

इस पर निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री भंवर सिंह शेखावत

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

2. श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
3. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
4. श्री यादवेन्द्र सिंह
5. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
6. श्री उमंग सिंघार

14.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- “आज की कार्य सूची में सम्मिलित विषय पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. ”

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः).

श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री उमंग सिंघार, सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि- खण्ड 9 में मूल अधिनियम की धारा 49 में उपधारा (7-ए) में प्रस्तावित संशोधन निरस्त कर अधिनियम के वर्तमान प्रावधान को यथावत् रखा जाए.

श्री उमंग सिंघार, सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि- खण्ड 10 में मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) तथा उपधारा (12) में विद्यमान परंतुक के स्थान पर प्रस्तावित संशोधन निरस्त कर अधिनियम के वर्तमान प्रावधान को यथावत् रखा जाए .

संशोधन अस्वीकृत हुए.

खण्ड 2 से 12 विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 का विरोध करते हुये तथा इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः).

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

इस पर निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री बाला बच्चन
2. श्री शैलेन्द्र जैन
3. डॉ. हिरालाल अलावा
4. श्री अजय विश्नोई
5. श्री महेश परमार
6. श्री ओम प्रकाश सखलेचा

18.अध्यक्षीय घोषणा

विधेयक पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- "माननीय सदस्य श्री कमलेश्वर डोडियार जी से अपर सचिव द्वारा दो बार चर्चा की गई उन्हें सदन में बताई गई व्यवस्था के बारे में बताया और अनशन खतम करने का आग्रह किया गया. विधायक जी द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ. को निलंबित किया जाए. स्थानीय पुलिस अधिकारियों को वस्तुस्थिति बताकर उन पर निगरानी बनाने के लिये सूचित कर दिया गया है."

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः).

7. श्री उमंग सिंघार
8. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि- (1) विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए, अथवा (2) विधेयक को सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए.

संशोधन अस्वीकृत हुए.
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि- खण्ड 2 में "धारा 66क. में नई उपधारा (तीन) इस विधेयक के प्रावधान सिंचित कृषि भूमि तथा सिंहस्थ मेला क्षेत्र उज्जैन के अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे."

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

20. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किए गए –

‘‘**माननीय सदस्यगण**, मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का पंचम सत्र अब समाप्ति की ओर है । इस सत्र में 09 बैठकें हुईं जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए । इस सत्र में सदन ने अन्य कार्यों के अलावा वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक को पारित किया वहीं वर्ष 2024-25 की द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की । इस सत्र में कुल 2939 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1448 तारांकित 1491 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 624 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य हुई। शून्यकाल की 183 सूचनाएं एवं 510 याचिकाएं प्राप्त हुईं 04 शासकीय विधेयक तथा 01 अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया। इसके साथ ही अनेक सभा समितियों के 59 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए । प्रदेश के 12 पारंपरिक विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 8-8 सदस्यों का निर्वाचन किया तथा विधान सभा की 4 वित्तीय समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन कर पुनर्गठन किया गया । माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 11 घंटे 30 मिनिट एवं बजट पर सामान्य चर्चा 09 घंटे 44 मिनिट तथा 16 घण्टे 30 मिनिट अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं भोजनावकाश स्थगित कर एवं सदन के समय में वृद्धि कर भी चर्चाएं पूर्ण कराई गईं ।

उल्लेखनीय है कि इस सत्र में दोनों पक्षों के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा व अन्य विषयों पर गंभीरता से विस्तृत चर्चा की गई एवं किसी भी कारण से सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने की स्थिति निर्मित नहीं हुई। सदन की कार्यवाही लगभग **56 घण्टे से अधिक चली** ।

आज भोजन अवकाश में भी सदन के समय में वृद्धि कर विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की गई ।

सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से ही जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। सदन का चलना और चर्चा होना पक्ष और विपक्ष दोनों के हित में है। इससे जहां एक ओर विपक्ष को प्रश्नों, ध्यानाकर्षण और विभिन्न संसदीय माध्यमों से सरकार को उत्तरदायी बनाने का अवसर मिलता है, वहीं सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने हेतु बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते हैं इससे जहां प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने और उसमें कसावट लाने में सुविधा होती है. वहीं विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण की वास्तविक तस्वीर भी परिलक्षित होती है। वास्तव में हमारा लक्ष्य यही होता है कि लोकतंत्र समृद्ध हो और संसदीय कार्यप्रणाली प्रदेश और उसकी जनता की प्रगति तथा उन्नति का माध्यम बने ।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा के प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को **हृदय से बहुत** धन्यवाद देता हूं ।

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र, चैती चांद तथा ईद-उल-फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं । अगले सत्र में हम सब पुन: समवेत होंगे, धन्यवाद".

डॉ. मोहन यादव, सदन के नेता (माननीय मुख्यमंत्री) एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी सत्र समापन अवसर पर अपने-अपने उद्गार व्यक्त किए गए.

21. बधाई एवं शुभकामनाएं.

आसंदी द्वारा कल दिनांक 25 मार्च 2025 को डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन होने पर सदन की ओर से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

22. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

23. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 3:48 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 मार्च, 2025